न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 82/2013

प्रार्थी :

भवरूराम उर्फ बाबुराम पुत्र बिड़दाराम
जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर,
चोढ़ा तहसील पीपाड़ शहर जिला
जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. बन्नाराम पुत्र सुण्डाराम
2. सुण्डाराम पुत्र अन्नाराम (फौत
   के कायम मुकाम –
   2/1 मांगीलाल पुत्र सुण्डाराम
   2/2 हप्पाराम पुत्र सुण्डाराम
   2/3 हीराराम पुत्र सुण्डाराम
   2/4 महीराम पुत्र सुण्डाराम
   2/5 पूनाराम पुत्र सुण्डाराम
   2/6 भन्नाराम पुत्र सुण्डाराम
3. पोकरराम पुत्र गोपाराम
4. पूनाराम पुत्र गोपाराम
5. छोगाराम पुत्र सादुलराम
6. जैती पत्नि खंगाराम
7. लादाराम पुत्र हमीरराम
8. रामचन्द्र पुत्र हमीरराम
9. भीयांराम पुत्र गुणेशराम
10. नारायणराम पुत्र गुणेशराम
    (फौत) के कायम मुकाम –
    10/1 मीरा पत्नि नारायणराम
    10/2 दिनेश पुत्र नारायणराम

सभी जातियान विश्नोई निवासीगण विष्णुनगर, चौढ़ा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
श्री बाबुलाल विश्नोई अप्रार्थीगण सं. 3 व 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 18.07.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– प्रार्थी ग्राम विष्णनुगर का स्थायी मूल निवासी है एवं कृषि कार्य व मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है । ग्राम विष्णुनगर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ आयी हुई है । जिसको प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 395 पर आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता ग्राम विष्णुनगर में स्थित गांवाई तालाब की अंगोर में से होता हुआ खसरा नम्बर 392, 397 व खसरा नम्बर 398 के खेतो की मध्य मांठ से होता हुआ खसरा नम्बर 397 के बीच में होता हुआ खसरा नम्बर 393, 393/520, 393/521, व खसरा नम्बर 396/1, 395, 394 के खेतो की मध्य मांठ से होता हुआ कदीमी रास्ता ग्राम बुचकलां की राजस्व सीमा में स्थित कट्टाणी रास्ता से मिलता है । जो कट्टाणी रास्ता आगे ग्राम बुंचकलां तक जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

कदीमी रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य मार्क एक्स से वाई दर्शाया गया है । जिसकी चौड़ाई पन्द्रह फुट से बीस फुट है । उक्त कदीमी रास्ता को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त रास्ता से सम्बोधित किया जायेगा, संलग्न नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग शुमार माना जावें । वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थी की कृषि भुमि पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता लही है । वादग्रस्त कदीमी रास्ता से प्रार्थी व अप्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामवासी पीढ़ियो से आते जाते रहे है । वादग्रस्त रास्ता बाबत् प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है । वादग्रस्त रास्ता राजस्व ट्रेस नक्शे में तरमीम नही है । प्रार्थी वादग्रस्त रास्ते को घोषित करवाना चाहता है । जिस पर यह प्रार्थना पत्र पेश है । प्रार्थी वादग्रस्त रास्ता के नीचे आने वाली अप्रार्थीगण की भूमि का नियमानुसार राशि अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है एवं रास्ता राजस्व रेकर्ड में घोषित करवाने का अधिकारी है । अप्रार्थी सं. एक व दो बट्टा एक से लगायत दो बट्टा छः वादग्रस्त कदीमी रास्ते से प्रार्थी को आने जाने में बाधा पहुंचाता है एवं प्रार्थी को अपने खेत में काश्त एवं उपयोग उपभोग करने से महरूम कर रहे है । जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा प्रार्थी के जायज खातेदारी अधिकारो का भी हनन हो रहा है। प्रार्थी नियमानुसार अप्रार्थीगण को राशि अदा करने को तैयार है एवं रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम विष्णुनगर में स्थित तालाब की अंगोर में से होता हुआ वादग्रस्त रास्ता खसरा नम्बर 392, 397, व खसरा नम्बर 398 के खेतो की मध्स माठ से होता हुआ खसरा नम्बर 397 के बीच में होता हुआ खसरा नम्बर 393, 393/520, 393/521, व खसरा नम्बर 396/1, 395, 393 के खेतो की मध्य माठ से चलित कदीमी रास्ता जो 15 से 20 फीट चौड़ाई में है, उक्त वादग्रस्त रास्ता को रास्ता घोषित फरमावें, एवं ट्रेस नक्शे में रास्ता तरमीम करावें ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जिसमें अप्रार्थीगण सं. एक व दो की ओर से वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, अप्रार्थीगण सं. तीन व चार फोरमल पक्षकार है । अप्रार्थी सं. एक व दो की ओर से वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने जवाब व काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी सं. 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3 व 5 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र का पद सं. एक प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि का विवरण दिया है जो प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें । प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 395 में आने जाने वाले रास्ता को नही दर्शाकर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से गलत रास्ता बताया है तथा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा गलत रूप से दर्शाया है । प्रार्थी द्वारा दर्शाया रास्ता जो खसरा नम्बर 392, 397 व 398 के खेतो की मध्य माठ से होकर खसरा नम्बर 397 के बीच में से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपर)

Scanned by CamScanner

होकर कतई खसरा नम्बर 393, 395, 394 तक नही जाता है, प्रार्थी ने गलत रूप से नजरी नक्शा दर्शाया है जबकि जहॉ पर प्रार्थी ने रास्ता दर्शाया है वहॉ खसरा नम्बर 398 में अप्रार्थी सं. 1 व 2/1 व 2/6 तक की ढाणियां बनी हुई है । इस प्रकार प्रार्थी ने गलत रूप से रास्ता दर्शाकर मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 395 में आने जाने हेतु ग्राम विष्णुनगर से पीपाड़ शहर जाने वाले आम कटाणी रास्ता से होकर खसरा नम्बर 400 माठ से होता हुआ खसरा नम्बर 399/504 की उत्तरी माठ से होता हुआ खसरा नम्बर 399 की उत्तरी माठ से होता हुआ खसरा नम्बर 396 की उत्तरी माठ से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 395 में जाता है तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 395 की उत्तरी माठ से होता हुआ आगे रास्ता खसरा नम्बर 394 में जाता है तथा खसरा नम्बर 394 की उत्तरी माठ से होता हुअ बुचकलां काकड़ माठ से होता हुआ आगे बुचकलां तक जाता है । जो धुम रास्ता चलता है । उक्त रास्ता के अलावा भी ग्राम विष्णुनगर की गंवाई तालाब की अंगार में से होकर खसरा नम्बर 392 व 390 की मध्य माठ से होता हुआ आगे खसरा नम्बर 392 व 392/500 की मध्य माठ से होकर आगे खसरा नम्बर 393 तक जाता है तथा आगे खसरा नम्बर 393 की मध्य सीमा से होकर आगे बुचकलां की सीमा तक चलता है जो रास्ता वक्त सेटलमेन्ट के समय से धुम रास्ता चलता है प्रार्थी भी इसी रास्ता से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 395 में जाता है । प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यो को छिपाकर उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है । वादग्रस्त रास्ता न तो अप्रार्थीगणो की जमीन में से होकर चलता है न वादग्रस्त रास्ता का मौके पर कोई अस्तित्व है । प्रार्थी ने काल्पनिक रूप से मिथ्या वादग्रस्त रास्ता दर्शाया है । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण की रहवासीय ढाणीयो के उपर से कोई नय रास्ता घोषित करवाने का हकदार नही है । मौके पर प्रार्थी द्वारा दर्शाया कोई वादग्रस्त रास्ता ही नही चलता है तो अप्रार्थीगण द्वारा बाधा पहुंचाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है । प्रार्थी के हक मे न तो प्रथम दृष्टया मामला है न प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति हो रही है । प्रार्थी ने जहां वादग्रस्त रास्ता दर्शाया है वहां पर अप्रार्थी सं. 1, 2/1 से 2/6 तक की ढाणियां आयी हुई है प्रार्थी ने गलत रूप से वादग्रस्त रास्ता दर्शाया है । तथा प्रार्थी मिथ्या तथ्यो पर किसी प्रकार का रास्ता घोषित करवाने के हकदार नही है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन मिथ्या, आधारहीन तथ्यो पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें । इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त की गयी है जो इस प्रकार से है कि ग्राम विष्णुनगर के खसरा नम्बर 395 रकबा 31.05 बीघा खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु वादी द्वारा खसरा नम्बर 401 गै.मु.अंगोर से खसरा नम्बर 392, 397, 398 के खेतो की मध्स माठ से होता हुआ खसरा नम्बर 397 के बीच में होता हुआ खसरा नम्बर 393, 393/520, 393/521 व खसरा नम्बर 396/1, 395, 393 के खेतो की मध्य माठ से चलित

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

कदीमी रास्ता को रास्ता घोषित करवाने की मांग की गई है वादी द्वारा मांग किये गये रास्ता नजरी नक्शा बिन्दु सं. ABCD की लम्बाई प्रस्तावित चौड़ाई व प्रस्तावित रास्ता हेतु रकबा निम्नानुसार बनता है :–

खसरा नम्बर	लम्बाई	प्रस्तावित चौड़ाई	प्रस्तावित रकबा	किस्म भूमि
398	115 गट्ठा	3 गट्ठा	0.17.05 बीघा	बारानी प्रथम
397	80 गट्ठा	3 गट्ठा	0.12.00 बीघा	बारानी प्रथम
393/520	115 गट्ठा	3 गट्ठा	0.17.05 बीघा	बारानी प्रथम
393/521	12 गट्ठा	3 गट्ठा	0.01.016 बीघा	बारानी प्रथम

खसरा नम्बर 397 उक्तानुसार दो भागो में विभक्त होता है जिसका रकबा नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार 10.00 बीघा व 15.03 बीघा रहता है । नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दु क से ख के मध्य खातेदारी भूमि में मौके पर रास्ता मौजुद है । जो ग्राम बुचकलां तक जाता है । खसरा नम्बर 398 में नजरी नक्शे में दर्शाये गये स्थल पक्की दीवारे पर लोहे की चादर (छत का)पड़वा 12 X 20 फीट में बना हुआ है । यह है कि नियमानुसार निकटतक रूट से होकर नया रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो नजरी नक्शे में बताये गये बिन्दु अ से ब एवं स तक की लम्बाई राजस्व नक्शानुसार 268 गट्ठा बनती है । परन्तु ग्राम विष्णुनगर व जसपाली की सरहदी माठ की मौके पर खातेदारो की कब्जा स्थिति अनुसार नजरी नक्शा बिन्दु सं. अ द य र ल व य फ ब की लम्बाई 335 गट्ठा बनती है । अतः मौके अनुसार लम्बाई ज्यादा होने से प्रस्तावित नही किया गया है ।

न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.03.2016 के विरूद्ध अप्रार्थीगणो ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के यहां अपील की जहां पर माननीय न्यायालय ने न्यायालय हाजा के आदेश 12.03.2016 को आदेश दिनांक 12.04.2017 द्वारा खारिज कर दिया है । माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 12.04.2017 को प्रार्थीगणो ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील की जिन्होने अपने आदेश दिनांक 09.07.2018 को आदेश पारित कर पत्रावली में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखा जाकर खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर रिपोर्ट 10.06. 2017 अनुसार खातेदारो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर रिपोर्ट में प्रस्ताव अनुसार रास्ता स्वीकृत बाबत् विधिसम्मत निर्णय पारित करें का आदेश प्रदान करे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगणो द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगणो द्वारा पीढ़ियो से चलित कदीमी रास्ता पर अप्रार्थीगणो द्वारा रास्ते पर अवैद्य निर्माण कार्य कर रहे है जिसे रूकवाया जावें । जिसपर तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अप्रार्थीगणो के विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके विरूद्ध बेंदखली के आदेश जारी किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी

Scanned by CamScanner

द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत होने के पश्चात् निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया गया ।

हमने पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय सुनी गई बहस पर मनंन किया व जवाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर को मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार लाल स्याही से दर्शाये अनुसार बिन्दु A B C D भूमि रास्ते हेतु घोषित की जाती है । जो खसरा नम्बर 398 में से 3 गट्ठा 0.17.05 बीघा व खसरा नम्बर 397 में 3 गट्ठा 0.12.00 बीघा व 393/520 में 3 गट्ठा 0.17.05 बीघा व खसरा नम्बर 393/521 में 3 गट्ठा 0.01.16 बीघा भूमि रास्ते उपयोग में काम आयेगी जिसकी DLC दर तहसीलदार पीपाड़ शहर से निम्नानुसार प्राप्त हुई है जिसकी दोगुना राशि नियमानुसार प्रार्थीगण–अप्रार्थीगण को अदा करेगे ।

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	DLC दर	दोगुना राशि
398	0.17.05	बारानी प्रथम	19923.75	39847.50
397	0.12.00	बारानी प्रथम	13860.00	27720.00
393/520	0.17.05	बारानी प्रथम	19923.75	39847.50
393/521	0.01.16	बारानी प्रथम	2079.00	4158.00

प्रार्थी जिन खसरान में से जितनी भूमि रास्तें के उपयोग हेतु काम आई है उन भूमिधारियो को जरिये चैक/डी.डी. मार्फत तहसीलदार भुगतान करें । मौका फर्द व नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । इस आशय की तहरीर तहसीलंदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner